**संख्या-243/2020/601/तेइस-14-2020-4(जनरल)/2020टी0सी0-1**

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- आयुक्त,
प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।

2- जिलाधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर,संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ: दिनांक-** 15 **दिसम्बर**, 2020

**विषयः- संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-163/2020/515/तेइस-14-2020-4 (जनरल)/2020, दिनांक 01.10.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त के शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 19.09.2002 के प्रस्तर-8 के उपप्रस्तर-8.1, 8.3, 8.4 एवं 8.7 में संशोधन किया गया है।

2- उक्त संशोधन के उपरान्त कतिपय मण्डल से उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2020 के पूर्व जिन मा0 विधान परिषद सदस्यों के लिए नोडल जनपद नामित किया गया है, उक्त का अनुमोदन निरस्त करने अथवा यथेष्ठ निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत निधि के अन्तर्गत जो कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं, उन्हें छोड़ते हुए शेष सभी पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुमोदन को निरस्त करते हुए नवीन व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

**संख्या-243/2020/601(1)/23-14-2020-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
5- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड के जनपद।
12- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
14- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in